

अपना प्रदेश



SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Rae-Bareilly Road, Lucknow- 226014

Phones- (0522) 2494008, 2494095 Fax (0522) 2668017, 2668078, 2668129

शुद्धि पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या I/07/Estate/2024-25 द्वारा संस्थान के सामुदायिक केंद्र स्थित रिक्त दुकानों को ई-नीलामी के माध्यम से किसके पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। रिक्त दुकानों का विवरण संस्थान की वेबसाइट <http://www.sggims.org.in> पर उपलब्ध है। दुकानों का विवरण निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

रिक्त दुकान सं०	दुकान/स्थान का क्षेत्रफल वर्ग फिट	निर्धारित न्यूनतम किराया (प्रतिमाह) @Rs. 6.25 per Sq.foot	व्यवसाय का नाम जिसके लिए दुकान आरक्षित	
1	3	4	5	
03	182.72	1142.00	ब्यूटी पार्लर	धरोहर धनराशि (रु०) 10500.00 + GST 18% रु० 1890.00 कुल धनराशि रु० 12390.00 ऑन लाईन RTGS डिमाण्ड ड्रफ्ट अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से खाता संख्या 10095237355 निदेशक एस०जी०पी०जी०आई०एम० एस०, लखनऊ के भारतीय स्टेट बैंक, शाखा एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०, लखनऊ-226014 में जमा की जायेगी। बैंक IFSC Code SBIN0007789 MICR Code 226002034
06	182.72	1142.00	छोला-मटूर, पूरी-सब्जी, स्नैक व मैगी इत्यादि	
07	182.72	1142.00	गोसरी	
08	182.72	1142.00	स्टेशनरी, फोटोकॉपी	
09	59.95	375.00	चाय-काफी	
10	182.72	1142.00	साईकिल रिपेयरिंग	
11	182.72	1142.00	बुटीक	
12	182.72	1142.00	फास्ट फूड (बर्गर, पिज्जा, स्मॉलिन इत्यादि)	
14	225.67	1400.00	बेकरी	
19	170.07	1063.00	-	
20	527.43	3297.00	रेस्टोरेंट	

- उक्त रिक्त दुकानों का आवंटन निम्न व्यवसाय हेतु किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें निदेशक महोदय के निर्देशानुसार कम से कम एक दुकान एक व्यवसाय हेतु आरक्षित की गयी है :-
(फल एवं साक-सब्जी, ब्यूटी पार्लर, चाय, काफी, छोला-मटूर, पूरी-सब्जी, स्नोसा, स्नैक एवं मैगी इत्यादि, गोसरी, झाईक्लीनिंग, स्टेशनरी, साईकिल रिपेयरिंग, टेलरिंग, बुटीक)
- दुकान संख्या-19 में कोई व्यवसाय आरक्षित नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रस्तावित व्यवसायों अथवा अन्य कोई व्यवसाय हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर समिति द्वारा नीलामी हेतु निर्णय लिया जायेगा।
- संस्थान की आवश्यकतानुसार उक्त व्यवसायों में परिवर्तन किया जा सकता है।
- शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

- दुकानों हेतु पंजीकरण फार्म संस्थान की वेबसाइट <http://www.sggims.org.in> से अपलोड / प्रिंट लेकर फार्म भरने व धरे हुए फार्म संस्थान के प्रशासनिक भवन भू-तल स्थित आर०एस०डी० सेल कक्ष संख्या 101 में दिनांक 25.07.2024 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक जमा किये जायेंगे।
- दुकानों की नीलामी दिनांक 29.07.2024 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक।
- दुकानों की नीलामी का स्थल प्रशासनिक भवन के तृतीय तल स्थित समिति कक्ष।

ADVT.No.: I/10/Estate/2024-25

निदेशक

नि.आ.सू. सं.	ISTRAC/CMG/E/CON/E-Ten 2024-25 दिनांक: 06.06.2024
कार्य का नाम	आईडीएसएन कैम्पस, इस्ट्रैक, डी-32 एम डायामीटर एन्टीना फैंस प्लांट बैट्री बैंक और पुराने 18 म एन्टीना फैंसिलिटी को बदलना।
निविदा हेतु रखी गयी अनुमानित लागत	रु. 61.44 लाख
निविदा दस्तावेज विवरण	ई-निविदा
परिपूर्ण अवधि	चार (04) माह
अवधि जिसके दौरान निविदा दस्तावेज डाउनलोड किया जा सकता है	07.06.2024 को 16.00 बजे से 28.07.2024 को 16.00 बजे तक। 12.07.2024 को 16.00 बजे तक बढ़ाया गया। 26.07.2024 को 16.00 बजे तक और आगे बढ़ाया गया।
बोली स्पष्टीकरण	08.06.2024 को 11.00 बजे से 29.07.2024 को 16.00 बजे तक। 13.07.2024 को 16.00 बजे तक बढ़ाया गया। 27.07.2024 को 16.00 बजे तक और आगे बढ़ाया गया।
बोली स्पष्टीकरण का जवाब देने के लिए अंतिम तिथि	01.07.2024 को 16.00 बजे तक व 15.07.2024 को 16.00 बजे तक व 29.07.2024 को 16.00 बजे तक बढ़ाया गया।
निविदाओं की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि एवं समय	02.07.2024 को 16.00 बजे तक व 16.07.2024 को 16.00 बजे तक व 30.07.2024 को 16.00 बजे तक बढ़ाया गया।
निविदाओं को खोलने की तिथि एवं समय	04.07.2024 को 11.00 के बाद। 18.07.2024 को 11.00 बजे के बाद तक बढ़ाया गया। 01.08.2024 को 11.00 बजे के बाद आगे बढ़ाया गया।
धरोहर राशि जमा (ईएमडी)	रु. 1,22,880.00
इच्छुक निविदादाता कृपया पात्रता मानदंड तथा अन्य विवरण के लिए विवरण सूचना (एनआईटी) वेबसाइट: www.isro.gov.in पर देखें तथा www.tenderwizard.com/ISRO से डाउनलोड किया जा सकता है।	





Phones: - (0522) 2494008, 2494095.
Fax: - (0522) 2668017, 2668078, 2668129

संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences,
Rae-Bareilly Road, Lucknow-226014

ई-नीलामी सूचना

संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (जिसे आगे 'संस्थान' कहा गया है) परिसर स्थित सामुदायिक केन्द्र की निम्नलिखित क्षेत्रफल की दुकानों/स्थानों हेतु चिन्हित वरीयता वाले व्यवसाय- (1) मिल्क बार, (2) प्रोविजनल स्टोर, (3) ड्राई क्लीनिंग/लॉन्ड्री, (4) टेलर्स, (5) सैलून, (6) स्टेशनरी शॉप, (प्रतिबन्धित व्यवसाय, यथा सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान-मसाला शराब का ठेका, मॉस-मछली काटने का कार्य एवं अन्य मादक पदार्थ इत्यादि का क्रय विक्रय आदि को छोड़कर) मासिक लाईसेन्स शुल्क/किराया के आधार पर दुकान/स्थान आवंटित किये जाने हेतु व्यक्ति/फर्म अथवा कम्पनी/सोसायटी नीलामी का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। चिन्हित वरीयता वाले व्यवसाय में से किसी व्यवसाय हेतु निविदा न प्राप्त होने की दशा में ही अन्य व्यवसाय हेतु निविदाओं पर विचार किया जायेगा।

दुकानों/स्थान का क्षेत्रफल वार विवरण तथा न्यूनतम किराया निम्नवत् वर्णित किया जा रहा है:-

रिक्त दुकान सं०	दुकान /स्थान का क्षेत्रफल वर्ग फिट	निर्धारित न्यूनतम किराया (प्रतिमाह) @Rs.6.25 per Sq.feet	व्यवसाय का नाम जिसके लिए दुकान आरक्षित	धरोहर धनराशि (रु०) 10500.00 + GST 18% रु०1890.00 कुल धनराशि रु० 12390.00 ऑन लाईन RTGS, डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से खाता संख्या 10095237355 निदेशक एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०, लखनऊ के भारतीय स्टेट बैंक, शाखा एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०, लखनऊ-226014 में जका की जायेगी। बैंक IFSC Code SBIN0007789 MICR Code 226002034
1	3	4	5	
03	182.72	1142.00	ब्यूटी पार्लर	
06	182.72	1142.00	छोला-भटूरा, पूरी-सब्जी, स्नैक, व मैगी इत्यादि	
07	182.72	1142.00	गोसरी	
08	182.72	1142.00	स्टेशनरी, फोटोकॉपी	
09	59.95	375.00	चाय-काफी	
10	182.72	1142.00	साईकिल रिपेयरिंग	
11	182.72	1142.00	बुटीक	
12	182.72	1142.00	फास्ट फूड(बर्गर, पिज्जा, चामिन इत्यादि)	
14	225.67	1400.00	बेकरी	
19	170.07	1063.00	...	
20	527.43	3297.00	रेस्टोरेन्ट	

(नोट: नगर निगम की निर्धारित दर रु०6.25 प्रति वर्ग फिट की दर से अलग-अलग क्षेत्रफल की दुकान का न्यूनतम किराया निर्धारित किया गया है। निर्धारित किराये से आगे की नीलामी करते हुए अधिकतम धनराशि की बोली पर दुकान आवंटित करते हुए अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी)

- उक्त रिक्त दुकानों का आवंटन निम्न व्यवसाय हेतु किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें निदेशक महोदय के निर्देशानुसार कम से कम एक दुकान एक व्यवसाय हेतु आरक्षित की गयी है :-
(फल एवं साक-सब्जी, ब्यूटी पार्लर, चाय, काफी, छोला-भटूरा, पूरी-सब्जी, समोसा, स्नैक एवं मैगी इत्यादि, गोसरी, ड्राईक्लीनिंग, स्टेशनरी, साईकिल रिपेयरिंग, टेलरिंग, बुटीक)
- दुकान संख्या-19 में कोई व्यवसाय आरक्षित नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रस्तावित व्यवसायों अथवा अन्य कोई व्यवसाय हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर समिति द्वारा नीलामी हेतु निर्णय लिया जायेगा।
- संस्थान की आवश्यकतानुसार उक्त व्यवसायों में परिवर्तन किया जा सकता है।
- शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

1.	दुकानों हेतु पंजीकरण फार्म संस्थान की वेबसाइट www.sggpi.ac.in से अपलोड/प्रिंट लेकर फार्म भरने व भरे हुए फार्म संस्थान के प्रशासनिक भवन भू-तल स्थित आर०एस०डी० सेल कक्ष संख्या 101 में दिनांक 25.07.2024 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक जमा किये जायेंगे।
2.	दुकानों की नीलामी दिनांक 29.07.2024 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक
3.	दुकानों की नीलामी का स्थल प्रशासनिक भवन के तृतीय तल स्थित समिति कक्ष।

निदेशक

E-Auction for shops at Communit Centre of Institute-2024
PGI/Contract/File RSD No.7141/22





Phones: - (0522) 2494008, 2494095.
Fax: - (0522) 2668017, 2668078, 2668129

संजय गान्धी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences,
Rae-Bareilly Road, Lucknow-226014

ई0-नीलामी हेतु नियम तथा शर्तें

संजय गान्धी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (जिसे एतदपश्चात् संस्थान कहा गया है) के परिसर में स्थित सामुदायिक केन्द्र में विभिन्न क्षेत्रफल की दुकानों में व्यवसाय के लिये नीलामी प्रस्तुत करने हेतु सामान्य जानकारी एवं शर्तें।

1. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा (संलग्नक - भाग-"क") में अपने परिचय-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक तथा अन्य अपेक्षित अभिलेखों की स्व-सत्यापित छाया प्रतियां एवं घोषणा पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता द्वारा समस्त अभिलेखों, जो तकनीकी निविदा के साथ अपलोड किये गये हैं, उनकी एक अनुक्रमणिका (Index) बनाई जायेगी, जिसमें क्र0सं0, पेज का सार, पेज क्रमांक का विवरण उल्लिखित हो, स्व-हस्ताक्षरित कर अपलोड करना होगा।
3. निविदादाता द्वारा अपलोड किये गये निविदा प्रपत्रों के समस्त पृष्ठों को हस्ताक्षरित किया जायेगा, ऐसा न होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
4. निविदादाता को प्रत्येक क्षेत्रफल की दुकान हेतु अलग-अलग ई-निविदा प्रेषित करना होगा।
5. निविदादाता को सलाह दी जाती है कि निविदा भरने से पूर्व सामुदायिक केन्द्र का भ्रमण व निरीक्षण कर लें।
6. निविदादाता व्यवसाय चुनने से पूर्व सामुदायिक केन्द्र स्थित अन्य दुकानों तथा चुने गये व्यवसाय की व्यापकता के सम्बन्ध में निरीक्षण करने के पश्चात् ही लाइसेन्स शुल्क की दरे प्रस्तावित करें।
7. निविदादाता प्रतिबन्धित व्यवसाय (सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान-मसाला एवं अन्य मादक पदार्थ इत्यादि का कय विक्रय शराब का ठेका, मॉस-मछली काटने का कार्य)को छोड़कर अन्य किसी व्यवसाय हेतु निविदा भर सकता है।
8. आवंटित की जाने वाली दुकानों का क्षेत्रफल एवं उसका न्यूनतम किराया विज्ञापन सूचना में अंकित कर दिया गया है, उससे कम किराया स्वीकार नहीं किया जायेगा और अधिकतम लाइसेन्स फीस देने वाले निविदादाता के पक्ष में निविदा निर्णित की जायेगी। निविदादाता को वित्तीय निविदा में उल्लिखित न्यूनतम राशि से अधिक की धनराशि की बोली लगानी है। अधिकतम धनराशि की बोली लगाने वाले सफल निविदादाता के साथ सुरक्षा धनराशि एवं तीन माह का अग्रिम किराया जमा होने के उपरान्त अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।
9. निविदादाता को तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ (रु0) 10500.00 + GST 18% रु01890.00 कुल धनराशि रु012390.00 धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जमा की रसीद की प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि नहीं जमा की जाएगी, उसकी निविदा को बिना अग्रतर विचार के निरस्त कर दिया जायेगा। जिन निविदादाताओं की निविदा असफल हो जायेगी उनकी धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) निविदा निर्णित होने के तीन माह के भीतर वापस कर दी जायेगी। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि की वापसी हेतु निम्नलिखित विवरण देना अनिवार्य होगा।

1. खाता संख्या:
2. खाताधारक का नाम:
3. बैंक एवं शाखा का नाम:
4. IFSC Code :
5. MICR Code :

E-Auction for shops at Communit Centre of Institute-2024
PGI/Contract/File RSD No.7141/22





Phones: - (0522) 2494008, 2494095.
Fax: - (0522) 2668017, 2668078, 2668129

संजय गंधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences,
Rae-Bareli Road, Lucknow-226014

10. जिस निविदादाता की निविदा को स्वीकार कर लिया जायेगा उस निविदादाता को सुरक्षा धनराशि के रूप में ₹0 25000/- (₹0 पच्चीस हजार मात्र) का एफ0डी0आर0, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एवं 72 माह के लिए वैध हो निदेशक, एस0जी0पी0आई0, लखनऊ के नाम हो, निविदा स्वीकार होने से 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जिनकी निविदाएं अस्वीकार कर दी जायेगी उन्हें निविदा निर्गत होने के तीन माह के भीतर धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।
11. व्यवसाय के लिए निर्धारित स्थल के अन्दर कोई स्थायी निर्माण, करना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा। अस्थायी निर्माण, जैसे कि स्टैण्ड इत्यादि बनाने का अधिकार सफल निविदादाता (जिसे एतदपश्चात् लाइसेन्सी कहा गया है) को सक्षम अधिकारी की अनुमति के पश्चात् होगा।
12. चिन्हित/वरीयता वाले व्यवसाय के आधार पर स्वीकृत निविदा की स्थिति में लाइसेन्सी निर्धारित स्थल पर चिन्हित/आवेदित व्यापार के अलावा अन्य कोई व्यापार नहीं करेगा, अन्यथा की दशा में लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। अन्य प्रकरणों में लाइसेन्सी को प्रतिबंधित व्यवसाय के अतिरिक्त संस्थान द्वारा निर्धारित व्यवसाय करने की छूट होगी।
13. लाइसेन्स अनुबन्ध को निष्पादित करने से पूर्व लाइसेन्सी को तीन महीने का लाइसेन्स शुल्क/किराया अग्रिम के रूप में संस्थान में जमा करना होगा जिसका समायोजन लाइसेन्स की अवधि की समाप्ति के अंतिम तीन माहों में किया जायेगा तथा प्रत्येक माह का लाइसेन्स शुल्क/किराया सम्बन्धित माह की सात तारीख के अंदर जमा करना होगा। विलम्ब की स्थिति में बकाया धनराशि पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से व्याज देय होगा।
लाइसेन्सी द्वारा अग्रिम लाइसेंस शुल्क/किराया (लागू कर सहित) प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि तक जमा किया जायेगा तथा जमा राशि की रसीद की छाया प्रति सम्पत्ति विभाग में जमा की जायेगी।
14. लाइसेन्स शुल्क/किराया प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जायेगा।
15. अनुबन्ध निष्पादित होने के पश्चात् ही दुकान का कब्जा लाइसेन्सी को दिया जायेगा।
16. दुकानों के अनुबन्ध/लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष के लिए होगी, जो प्रतिवर्ष संतोषजनक कार्य एवं व्यवहार के आधार पर प्रतिवर्ष नवीनीकृत की जायेगी, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अनुबन्ध की अवधि नवीनीकरण सहित कुल 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उक्त 05 वर्ष की अवधि में किसी भी समय संस्थान अथवा लाइसेन्सी की ओर से अनुबन्ध तीन माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस के अभाव में अथवा नोटिस की अवधि अल्प होने पर आनुपातिक रूप में संस्थान कोष में धनराशि जमा की जायेगी, अन्यथा की स्थिति में संस्थान द्वारा अग्रिम जमा लाइसेन्स शुल्क/किराया तथा सुरक्षा धनराशि से उसकी वसूली की जायेगी।
17. संस्थान द्वारा अधिकृत अधिकारी को किसी भी समय दुकान का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
18. बिजली, पानी, सीवर, टेलीफोन इत्यादि के कनेक्शन लाइसेन्सी को अपने नाम व खर्च पर सम्बन्धित विभाग से आवेदन कर प्राप्त करना होगा। संस्थान द्वारा प्रदत्त बिजली पानी आदि का निर्धारित दर से अग्रिम जमा राशि एवं प्रत्येक माह का शुल्क लाइसेन्सी संस्थान को लाइसेन्स शुल्क के अतिरिक्त भुगतान करेगा एवं भुगतान रसीद संबंधित विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायेगा, अन्यथा की दशा में संबंधित विभाग द्वारा बिना नोटिस सेवायें काट/रोक दी जायेगी। प्रदत्त सेवाओं हेतु सक्षम अधिकारी के पद एवं विभाग नाम निम्नानुसार हैं, जो कि अग्रिम जमा राशि निर्धारण, प्रत्येक माह का शुल्क निर्धारण, सुविधा प्रदान करने एवं बन्द करने हेतु सक्षम होंगे -

समक्ष अधिकारी के पद नाम	विभाग का नाम	सेवाओं का प्रकार
अधिशाषी अभियंता (विद्युत)	विद्युत अभियंत्रण विभाग	विद्युत आपूर्ति
अधिशाषी अभियंता (सिविल)	सिविल अभियंत्रण विभाग	पानीआपूर्ति एवं सीवर हेतु
अधिशाषी अभियंता (दूरभाष)	टेलीफोन एक्सचेंज	टेलीफोन हेतु

उक्त वांछित सेवायें अग्रिम राशि जमा करने के उपरान्त ही दी जायेंगी।

E-Auction for shops at Communit Centre of Institute-2024
PGI/Contract/File RSD No.7141/22





Phones: - (0522) 2494008, 2494095.
Fax: - (0522) 2668017, 2668078, 2668129

संजय गंधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences,
Rae-Bareilly Road, Lucknow-226014

19. सभी बरामदे, कॉरीडोर, जीने इत्यादि को ग्राहकों के प्रयोग हेतु पूरी तौर से खुला रखना होगा तथा उन पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बिना किसी नोटिस के हटाने का पूर्ण अधिकार संस्थान के निदेशक का होगा और उसके हटाने का खर्चा निदेशक या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा लाइसेन्सी से वसूल किया जायेगा, तथा यथावश्यक लाइसेन्स/अनुबन्ध निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।
20. व्यापार स्थल अथवा अन्य किसी भाग/लाइसेन्स/दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण पूर्णतः प्रतिबन्धित है।
21. व्यापार स्थल के बाह्य भाग का रख-रखाव एवं सफाई स्वयं लाइसेन्सी को करनी होगी।
22. यदि व्यापार स्थल का रख-रखाव एवं सफाई सही ढंग से नहीं हो रही है, तो संस्थान को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं उसका रख-रखाव (सफाई) करे तथा रख-रखाव (सफाई) में होने वाले व्यय को लाइसेन्सी से वसूल करे। यदि उक्त भुगतान संस्थान में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नहीं जमा किया जाता है तो इसकी वसूली जमा सुरक्षा धनराशि तथा अग्रिम जमा किराये से की जाएगी तथा यथावश्यक भू-राजस्व के बकाये के माध्यम से की जायेगी।
23. लाइसेन्सी एवं उसके कर्मियों को सरकार/नगर पालिका तथा संस्थान के स्वास्थ्य एवं सफाई संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
24. अगर लाइसेन्सी इन शर्तों के विपरीत कोई कार्य करता है अथवा कोई गैर कानूनी कार्य करता है या स्थल पर गैर कानूनी कार्य को करने देता है तो संस्थान के निदेशक उनका लाइसेन्स निरस्त कर देंगे तथा 03 तीन माह की जमा अग्रिम लाइसेन्स फीस जब्त कर ली जायेगी।
25. यदि लाइसेन्सी आवंटन-पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिन में व्यापार प्रारम्भ नहीं करता है तो लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा तथा यदि दुकान 01 महीने तक कभी भी बन्द पायी गयी तो लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा एवं दोनों स्थितियों में **सुरक्षा धनराशि तथा तीन माह की जमा अग्रिम लाइसेन्स शुल्क** जब्त कर ली जायेगी।
26. लाइसेन्सी एवं उसके अधीनस्थ कर्मियों को संस्थान के नियम एवं शर्तें मान्य होंगी तथा लाइसेन्सी अथवा उनके द्वारा नियोजित कर्मियों को संस्थान में प्रवेश के लिये 'पास' बनवाना अनिवार्य होगा।
27. लाइसेन्सी अपने दुकान से वस्तुओं की बिक्री लखनऊ में बाजार भाव से अधिक मूल्य पर नहीं करेगा तथा अधिक मूल्य लेने पर उसका लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा। वस्तुओं की दर सूची सूचना पट्ट पर प्रकाशित करनी होगी।
28. लाइसेन्सी को संस्थान द्वारा लाइसेन्स में दी गयी सभी शर्तों का पालन करना होगा किसी भी शर्त का पालन न करने पर संस्थान द्वारा सुनवाई का अवसर देकर लाइसेन्स निरस्त किया जा सकता है।
29. अगर लाइसेन्सी लाइसेन्स अवधि पूरी होने के पूर्व ही अपना लाइसेन्स रद्द कराना चाहता है या दुकान छोड़ना चाहता है तो उसे प्रस्तर-16 के अनुसार तीन माह पूर्व संस्थान को नोटिस देनी होगी एवं साथ में अदेयता प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
30. आवंटित दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का निर्माण करना संस्थान एवं लाइसेन्स नियमों के विरुद्ध होगा एवं ऐसा करने पर दुकान का लाइसेन्स बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।
31. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण संस्थान के निदेशक द्वारा नामित समिति की संस्तुति पर निदेशक द्वारा निर्णित किया जाएगा तथा दोनों पक्षों के असन्तुष्ट होने पर निदेशक द्वारा नामित आर्बीट्रेटर द्वारा संगत अधिनियम में निहित प्रक्रिया के अनुसार विवाद का निस्तारण किया जाएगा एवं उसका निर्णय दोनों पक्ष





Phones: - (0522) 2494008, 2494095.
Fax: - (0522) 2668017, 2668078, 2668129

संजय गॉंधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences,
Rae-Bareilly Road, Lucknow-226014

- मानने को बाध्य होंगे। इस प्रकरण में विधिक क्षेत्र, लखनऊ जनपद ही होगा तथा भारत संघ के कानून प्रभावी होंगे।
32. संस्थान के निदेशक को सभी या किसी निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।
 33. निम्न कारणों से भी निविदा निरस्त की जा सकती है:-
(क) निविदा के साथ धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) तथा निविदा शुल्क संलग्न न किया गया हो।
(ख) निविदा सशर्त हो।
(ग) निविदा प्रपत्र में दिए गए शर्तों के अनुसार निविदा न प्रस्तुत की गयी हो।
(घ) कोई तथ्य छिपाया गया हो, जिसकी जानकारी संस्थान को किसी भी समय हो जाए।
 34. सभी प्रकार के कर (जी0एस0टी0 कर सहित) के भुगतान/देयता की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
 35. निविदादाता व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/सोसाइटी को रू0 10/- नान-जुडिसियल स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई अपराधिक केस और न ही कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है एवं न ही किसी न्यायालय द्वारा उसे दण्डित किया गया है।
 36. प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई किसी प्रकार की क्षति का वहन संस्थान द्वारा नहीं किया जायेगा।
 37. किसी भी दुर्घटना के कारण होने वाली धन-जन की क्षति हेतु संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा, अपितु इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व लाईसेन्सी का होगा।
 38. लाईसेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित व्यवसाय संचालित करने एवं दुकान पर संस्थान प्रशासन द्वारा गठित समिति द्वारा प्रतिबन्धित सामग्री पकड़े जाने पर तम्बाकू नियंत्रण अध्यादेश एवं उ0प्र0 के संगत शासनादेशों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त मासिक लाईसेंस भुल्क/किराये के बराबर दण्ड राशि जमा करनी होगी। दण्ड राशि जमा न करने अथवा दो बार से अधिक शर्त का उल्लंघन करने पर लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।
 39. संस्थान को होने वाली किसी प्रकार की क्षति की वसूली लाईसेन्सी द्वारा संस्थान में जमा किये अग्रिम लाईसेन्स शुल्क/किराया तथा सुरक्षा धनराशि से की जायेगी। वसूली हेतु यह धनराशि अपर्याप्त होने की दशा में उसकी वसूली हेतु विधिक कार्यवाही की जायेगी।

अन्य नियम एवं शर्तें:

1. फर्म/एजेन्सी/निविदाकार/लाईसेन्सी द्वारा नियमों एवं शर्तों से भलीभाँति अवगत होने के पश्चात् ही ऑनलाईन माध्यम से ई-निविदा/भाव पत्र भरा जाना अनिवार्य है।
2. फर्म/एजेन्सी/निविदाकार/लाईसेन्सी को संस्थान के नियम एवं शर्तों का पालन करना होगा। यदि संस्थान की चल एवं अचल सम्पत्ति की किसी भी प्रकार से क्षति होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म/एजेन्सी/निविदाकार/लाईसेन्सी का होगा एवं क्षति का आंकलन कर धनराशि की वसूली उसकी जमा सुरक्षा धनराशि तथा तीन माह हेतु जमा किराये से की जायेगी तथा वसूली हेतु यह धनराशि अपर्याप्त होने की दशा में उसकी वसूली हेतु विधिक कार्यवाही की जायेगी।
3. जी0एस0टी0 एवं अन्य कर, जो समय-समय पर लागू हों, नियमानुसार देय होंगे।
4. भाव-पत्र में अंकित धनराशि को फर्म/एजेन्सी/निविदाकार द्वारा अंकों तथा शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा/भरना अनिवार्य होगा। अन्तर होने की दशा में शब्दों में अंकित धनराशि को अन्तिम माना जायेगा।





Phones: - (0522) 2494008, 2494095.
Fax: - (0522) 2668017, 2668078, 2668129

संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences,
Rae-Bareli Road, Lucknow-226014

संलग्नक भाग "क"

संस्थान के सामुदायिक केन्द्र स्थित दुकानों हेतु लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु तकनीकी निविदा

1	निविदादाता व्यक्ति/फर्म /कम्पनी सोसायटी का नाम	
2	व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा	
3	हैसियत (यदि कोई हो)	
4	पत्र व्यवहार का पता एवं दूरभाष नं०	
5	स्थायी पता एवं दूरभाष नं०	
6	शैक्षिक योग्यता की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करे	संलग्नक सं० पृ०सं०
7	व्यवसाय जिसके लिये लाइसेन्स आवेदित किया जा रहा है (विवरण निर्धारित क्षेत्रफल व दुकान संख्या सहित)	
8	व्यापार कर पंजीयन संख्या/GST no. (यदि कोई हो)	संलग्नक सं० पृ०सं०
9	आयकर पैन् नं० (यदि कोई हो)	संलग्नक सं० पृ०सं०
10	निविदादाता/फर्म का परिचय-पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक आदि की सत्यापित छाया प्रतियाँ	संलग्नक सं० पृ०सं०
11	अर्नेस्ट मनी रू० 10500.00 + लागू जी०एस०टी० 18 प्रतिशत रू०1890.00 कुल धनराशि रू०12390.00 का विवरण	संलग्नक सं० पृ०सं०
12	निविदादाता व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/सोसाइटी को रू० 10/- नान-जुडिसियल स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई अपराधिक केस और न ही कोई वाद विचाराधीन एवं न ही न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।	संलग्नक सं० पृ०सं०
13	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र (व्यक्तिगत रूप से भरे जाने वाले निविदाकारों के लिए)	संलग्नक सं० पृ०सं०

निविदादाता की
स्वहस्ताक्षरित
फोटोग्राफ



निविदादाता के हस्ताक्षर
एवं पता





Phones: - (0522) 2494008, 2494095.
Fax: - (0522) 2668017, 2668078, 2668129

संजय गंधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences,
Rae-Bareli Road, Lucknow-226014

घोषणा-पत्र

(रु010.00 के नान-जुडिसियल स्टैम्प पेपर पर)

मैंपुत्र / पति / पत्नी.....
निवासी.....जो कि
व्यक्ति फर्म अथवा कम्पनी / सोसायटी के हैं बिना किसी दबाव
के यह घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने उपरोक्त सभी शर्तों को भली-भाँति अध्ययन कर लिया है
एवं इनसे पूर्णतः सहमत हूँ। इस निविदा के साथ जो भी अभिलेख या प्रपत्र मेरे द्वारा प्रस्तुत किये
गये हैं, वह मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि संलग्न अभिलेख / प्रपत्र में कोई भी त्रुटि
या असत्यता पायी जाये तो किसी भी समय मेरा / मेरी निविदा / लाइसेन्स अनुबन्ध निरस्त करते हुए
मेरी सुरक्षा धनराशि एवं 03 माह का अग्रिम लाइसेन्स शुल्क / किराया जब्त कर लिया जाए।

मैं.....बिना किसी जोर दबाव के उपरोक्त को स्वीकार करते हुए
हस्ताक्षर कर रहा / रही हूँ।

(निविदादाता के हस्ताक्षर)
पूरा नाम एवं पता

